

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मीरजापुर।

दिनांक-04.07.2026

आदेश सं०-३४/2026

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के खण्डपीठ द्वारा "writ-C No. 3726 Civil Court Bar Association & Another. Vs. High Court of Judicature at Allahabad and 3 Others." "Along with Writ-C No. 42218/2025 Bar Association, Civil Court, Gorakhpur and another Vs. High Court of Judicature at Allahabad and 2 others." में पारित आदेश दिनांकित 24.03.2026 के पैरा-31 में यह आदेश पारित किया गया है कि-

"In view of the foregoing discussion, we are not inclined to exercise jurisdiction under Article 226 of the Constitution of the India. The challenge to impugned orders is not maintainable in the absence of any challenge to the validity of the statutory provisions under which it is passed, and further, applying the settled principle that a later enactment prevails over an earlier enactment in case of inconsistency, the transfer of the maintenance proceedings from the Family Court constituted under the Family Court 1984 to the Gram Nyayalaya under Section 16 of the Gram Nyayalaya Act, 2008 is held to be valid."

इस सम्बन्ध में तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को एक पत्र प्रेषित किया गया था कि वह पीठासीन अधिकारी, ग्राम न्यायालय तहसील लालगंज को आदेशित करने का कष्ट करें कि वह भरण-पोषण से सम्बन्धित समस्त पुरानी पत्रावली का अंतरण स्वीकार करें तथा तहसील लालगंज के क्षेत्राधिकार में आने वाले पुलिस थाना (को० लालगंज, हलिया, डूमण्डगंज) से सम्बन्धित भरण-पोषण के मामले में नये वादों को ग्रहण करें।

उक्त के क्रम में सम्बन्धित समस्त पत्रावली को अंतरण हेतु ग्राम न्यायालय, लालगंज को प्राप्त कराने हेतु न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मीरजापुर के मुंसरिम/ लिपिक को आदेशित किया गया था, जिसमें एक बार पत्रावलियां प्राप्त करायी गयी, शेष पत्रावलियां ग्रीष्मावकाश के कारण प्राप्त नहीं करायी जा सकी। परन्तु संबन्धित पीठासीन अधिकारी के कार्यालय के लिपिक द्वारा पत्रावलियों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे वादकारियों को असुविधा हो रही है।

अस्तु आदरणीय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के खण्डपीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में कार्य करने हेतु अपने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ग्राम



2.

न्यायालय, तहसील लालगंज को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य करने के लिये आदेशित करने की कृपा करें।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खण्डपीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मीरजापुर में कार्यरत मुंसरिम/ लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह तहसील लालगंज के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाना (को० लालगंज, हलिया, डूमण्डगंज) से सम्बन्धित भरण-पोषण से समस्त प्रकार के वाद/ याचिका (दं०प्र०सं०/ बी०एन०एस०एस०) के अन्तर्गत दिनांक 06.07.2026 को ग्रहण/ स्वीकार न करे तथा परिवार न्यायालय, मीरजापुर के अधिष्ठान में संस्थित न करें।

भवदीय


(संजय कुमार शुक्ल)

प्रधान न्यायाधीश,

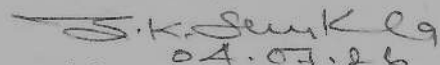
परिवार न्यायालय, मीरजापुर।

दिनांक-04.07.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।
2. अध्यक्ष/ सचिव जिला बार एसोसिएशन, मीरजापुर को इस आशय से कि वह समस्त अधिवक्ताओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग), जनपद न्यायालय मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ कि आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, मीरजापुर के बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद न्यायालय मीरजापुर।
5. पीठासीन अधिकारी ग्राम न्यायालय, तहसील लालगंज, मीरजापुर को इस आशय से कि वह माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में कार्य करें।
6. अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसिएशन तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर को सूचनार्थ।

भवदीय


(संजय कुमार शुक्ल)

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, मीरजापुर।

दिनांक-04.07.2026